प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 24 दिसम्बर, 2015**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मै0 पूर्वान्चल मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, कैली भोपौली, चन्दौली के दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत प्रस्ताव की द्वितीय किश्त रू0-25.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0-1663/खा0प्र0मिशन/594/15-16/लखनऊ दिनांक- 21.11.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक- 08.08.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांक: 20.01.2014 द्वारा मै0 पूर्वान्चल मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, कैली भोपौली, चन्दौली के दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत अनुदान रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किस्त रू0-25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृत के प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई है।

3. उक्त संस्तुति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-10 आयोजनागत पक्ष में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन हेतु शासनादेश संख्या-24/2015/690/58-2-2015-300(14)/2014, दिनांक- 28/07/2015 द्वारा रू0-277397 हजार (रूपया सत्ताईस करोड तिहत्तर लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उपलब्ध धनराशि में से संस्था को द्वितीय किस्त कुल धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा कराया जायेगा।

2- संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक 31.03.2016 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व शासनादेश संख्या-24/2015/690/58-2-2015-300(14)/2015, दिनांक- 28.07.2015 एवं शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक: 30.03.2015, वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

6- उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन स्वयं तथा वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

7- भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी0-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26.08.2014 एवं शासनादेश सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक: 30.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-28/2015/1152(1)/58-2-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) आयुक्त/जिलाधिकारी, चन्दौली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(4) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://srisanadesh.up.nic.in